निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 203/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री विजय नारायण शर्मा जाति बागड़ा ब्राह्मण, निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगनेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री अशोक कुमार रिणवा आर. ए. एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर।
2. श्रवण लाल यादव पुत्र श्री रामनाथ यादव जाति अहीर निवासी 34/501,सैक्टर 3, प्रताप नगर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
3. रामप्यारी देवी पत्नी पूरण मल निवासी रामपुराबास गौनेर तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4. राजू देवी पत्नी श्री ग्यारसी लाल पुत्री पूरणमल निवासी आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. मांगी देवी पत्नी श्री राम प्रसाद पुत्री पूरण मल निवासी काटावाला, तहसील चाकसू , जिला जयपुर।
6. काली देवी पत्नी मोहन लाल पुत्री पूरण मल निवासी आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. कमला देवी पत्नी हनुमान शर्मा पुत्री पूरण मल शर्मा निवासी काठावाला, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।
8. मधु देवी उर्फ मधा देवी पत्नी शंकर लाल पुत्री पूरणमल निवासी भावगढ बंधा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
9. छोटा देवी पत्नी मुकेश पुत्री पूरण मल निवासी भावगढ बंधा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
10. लाली देवी पत्नी कालूराम पुत्री पूरण मल निवासी आशावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 268/2021 ब उनवानी महेश बनाम श्रवण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राकेश कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 13.12.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रकरण संख्या 268/2021 ब उनवानी महेश बनाम श्रवण व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 के दबाव एवं प्रभाव में आकर पूर्व में ही खारिज कर दिया है और अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव एवं धनबल के आधार पर प्रार्थी का वाद भी आदेश 7 नियम 11 में खारिज करने पर आतुर है। अप्रार्थी संख्या 1 की मंशा यह है कि वो प्रार्थी/वादी के वाद को उसे बिना साक्ष्य समर्थन एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रारम्भिक स्तर पर खारिज कर दे । अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 02.09.2022 को धमकी दी कि हमारी पीठासीन अधिकारी जी से बात हो चुकी है। अब हम तुम्हारे दावे को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में ही आगामी तारीख पेशी में हर स्थिति में खारिज करवा देंगे। क्यों कि हमारी राजनैतिक पहुंच उपर तक है, हमने अपने धनबल एवं राजनैतिक पहुंच के कारण पीठासीन अधिकारी जी पर दबाव बना रखा है जिस कारण वो शीघ्र ही प्रकरण का निस्तारण हमारे पक्ष में कर देंगे। अभी हाल ही में अप्रार्थीगण ने पुनः प्रार्थी को धमकी दी कि अब जल्दी पीठासीन अधिकारी जी तुम्हारा दावा खारिज कर देंगे, हमारी उनसे बात हो चुकी है । प्रार्थी अपने मुकदमें की जानकारी करने व अपने अधिवक्ता से वर्तालाप करने दिनांक 13.009.2022 को न्यायालय में गया तो उसने अप्रार्थी संख्या 2 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में से आते देखा। प्रार्थी को चैम्बर के बाहर खड़ा देख कर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसका दावा खारिज कराने की धमकी दी। अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ ? अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेत ट्रान्सफर किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है जो अपने अधिकारों के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ रहा है तथा प्रार्थी के वाद अधीन भूमि के आलावा अन्य कोई भूमि या अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। प्रार्थीगण अपनी गैर कानूनी हरकतों से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर प्रार्थी के दावो को खारिज करादेंगे, तो वो अपने वैद्यानिक

जिला कलक्टर
जयपुर

अधिकारों से वंचित हो जायेगें। ऐसी स्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थी के मुकदमों को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। इसी सन्दर्भ में राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नही होते की आंशका को तो ऐसी स्थिति मे प्रकरण को अन्य न्ययालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने मिथ्या एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दावा पेश किया है जिस बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। यह बात प्रार्थी/वादी भलीभांति जानता है इसका मुकदमा मिथ्या है तथा चलने योग्य नहीं है । प्रार्थी प्रकरण को लम्बा करना चाहता है। इसलिए पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आरोप लगाकर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी चाकसू ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों की पुष्टि में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी ने कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिह बनाम दलपत सिह 1984 RRD 501, मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61, जमना शंकर बनाम कालूराम 1982 III, में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने पर यह पाया गया है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल मे नहीं लाई गई है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर